RAJYA SABHA

Thursday, the 9th December, 1993/ 18th Agrahayana, 1915 (Saka)

The House met at eleven of the Clock.

The Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Clearance to Japanese industrial township project

*101. SHRI N. GIRI PRASAD :†
SHRI N. E. BALARAM :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Haryana State Government's decision to clear the Japanese indusrial township project to be located at Gurgaon ;

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) what is Central Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (c) The Japan International Cooperation Agency (JICA) is conducting a Master Plan Study of the Industrial Model Town (IMT). Based on the draft final report the Government of India have accepted the recommendation to undertake a feasibility study of the candidate site near Gurgaon. A final decesion would be taken only after the feasibility study, which is likely to take about one year.

SHRI N. GIRI PRASAD : Madam, it seems that the Government is not prepared to give proper replies to questions because to my question (b) : If so, what are the details thereof ?, there are no details in the reply. It appears that the Government has accepted the recommendation to undertake a feasibility study based on the draft final report. I am not aware of the draft final report. Will the hon. Minister give some details contained in the draft final report on this project ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, अंतिम रिपोर्ट दिसंबर तक प्राप्त होगी । ड्राफ्ट रिपोर्ट और अंतरिम रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह तकरीबन मान लिया गया है The Government of India has decided that the JICA can go ahead with the feasibility study of the site at Gurgaon. This is out of the four sites, namely, Gurgaon, Noida, Bidadi and Santur near Basgalore. The question as to whether a model town would be set up or not will be decided only after the feasibility study. So, I have answered it fully. Draft or final रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है । अंतिम रिपोर्ट तो दिसंबर तक आ ही जाएगी और मैंने कहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी में एक वर्ष लगेगा और पूरे प्रोजेक्ट में तीन चार वर्ष लगेंगे ।

SHRI N. GIRI PRASAD : Madam, even now the Minister's reply is not very clear. What would be the benefits for the country by establishing Japanese industrial towns here ? What would be the rights accruing to the Indian citizens ? And what are the concessions that are going to be given to the Japanese industrial units or the Japanese citizens ? I would like to know all these aspects.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाएगी जिस से विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया हैं । और साथ ही जो ब्रॉड डिटेल्स रिगार्डिंग फैसिलिटीज जैसे उन्होंने पूछा है तो उसके मुताबिक हमें यह कहना है कि यह जो मास्टर प्लान का स्टडी हुआ था उस में इसको विस्तार से बताया गया

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri N. Giri Prasad.

है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या क्या कंडीशंस इसमें होंगी जिस से प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और प्रोडक्शन के विकास के लिए टेलीकम्यूनिकेशंस होगा, इनर्जी सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एयर से कनेक्ट होगा, इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार किया जाएगा। रिसर्च और डेवलपमैंट फैसिलिटीज दी जाएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीवन सुविधाएं है वह उनको प्रदान की जाएंगी। क्वालटी आफ लाइफ, हाउसिंग, रिक्रियेशन फैसिलिटीज और रेजिडेंशल कामर्शियल जोन्स होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी पूंजी भारत को मिलेगी जिससे भारत का आर्थिक विकास होगा और ग्लोबल कंपिटिशन में हम आगे आएंगे।

SHRI N. E. BALARAM: Madam, here the translation is very bad. I was not able to understand the whole answer. I am sorry for that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Translation was not good!

SHRI N. E. BALARAM: Madam, my knowledge of Hindi is very poor. That is why I could not follow. So, I am putting my question and somebody can answer this. This is a new concept: Inviting some foreign agency to set up a new township in our own country. According to the answed given, the report was submitted by one Japan International Co-operation Agency. I want to know whether this is a private institution working inside Japan or a Government body, who took the initiative to ask this agency to come and submit its report for setting up a township in Haryana and the idea behind the setting up of this township. Nothing is clear to me from the answer given by the hon. Minister.

श्रीमती कृष्णा साही: उपसभापति महोदया, जापान और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं में और दोस्ती के संबंध है। इस में मार्च 1989 में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के संबंध में प्रथम सुझाव इंडो-जापान स्टडी कमेटी में पेश किया गया था और उस के बाद जुलाई 1990 में आइ० एम० टी० का प्रस्ताव जापान के द्वारा भेजा गया था। आइ० एम० टी० कंस्ट्रक्शन कमेटी की स्थापना हुई। उस कंस्ट्रक्शन कमेटी के बाद हम लोगों ने जापान से अनुरोध किया कि इस में कुछ वित्तीय सहायता दी जाए। फिर इसकी स्टडी के लिए जाइका और हमारे उद्योग मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिस के सभापति हमारे इंडस्ट्रियल डेवलमेंट के सेक्रेटरी है। इस की समय-समय पर समीक्षा की गई और यह जो इंडो-जापान स्टडी कमेटी है इसमें जापान के भी सदस्य हैं और भारत के भी सदस्य हैं। श्री वसन्त साठे जी इस इंडो-जापान कमेटी के अध्यक्ष है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Have you followed now, Mr. Balaram?

SHRI N. E. BALARAM: What can I do? She spoke something.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: Shall I repeat the answer in English?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is not translation good?

SHRI N. E. BALARAM: I told you that this microphone was not working. I don't know what to do.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: When the original is not clear, how can the translation be clear?

SHRI N. E. BALARAM: Do you want me to repeat my question?

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): If the answer is not clear, you move to the next seat. There is some mechanical error. If the error is otherwise, we cannot help it.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: The Indo-Japan Study Committee presented its recommendations and the proposals came in July, 1990 from Japan. Then a Construction committee for the construction of a model town was constituted. After that, we asked for some financial help from Japan. There was an agreement between the Industries Department, Government of India and JICA. They presented a Draft Final Report. In fact, it is an interim report. The final report will

be presented in December. There is also a Steering Committee of which the Secretary, Department of Industrial Development is the chairman.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Have you followed now ?

SHRI N. E. BALARAM : I got the point, Madam.

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, मैं आपके माध्यम से दो बातें इसमें जानना चाहता हूं । यह जरा गम्भीर मामला है इसलिए कह रहा हूं कि जापान के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध हों, बौद्ध धर्म के कारण हमारे कुछ और भी धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध हों । जापान जो दुनिया में एक आर्थिक शक्ति है इसके अनुसार हम उनके साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहते है यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन जापान में जो हमारे सामने बातें आई हैं उसके कारण तीन प्रोपोजल टाउनशिप के लिए दिये थे । एक गोवा के लिए, दूसरा गुड़गांव के लिए और तीसरा कहीं बंगलोर के लिए । जैसा कि हमारी दृष्टि में है गोवा का जब प्रश्न आया और इस संबंध में यानी गुड़गांव के बारे में भी टाउनशिप के बारे में बात आई थी । मैं इस बारे में दो बातें साफ तौर से जानना चाहता हूं पहली बात यह है क्या यह बात सही है हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी ने पहले ही इसकी स्वीकृति दे दी है और सब कुछ तय कर दिया है । केवल फार्मल्टीज के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रधान मंत्री जी से इसकी अनुमति ली है । जैसा कि हमने अखबारों में देखा और पढ़ा कि सारा एग्रीमेंट होने के बाद ही प्रधान मंत्री के पास यह मामला गया । क्या यह बात सही है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि देश अंदर कोई विदेशी प्रभुत्ता हो जाए यह अच्छी बात नहीं है । खासकर जापान के लिए मैं कह रहा हूं । जापान के बारे में अच्छी तरह से लोग जानते है, अपने देश में तो उनके साथ सांस्कृतिक सद्भाव तो ठीक है लेकिन विदेशों में सैट टूर कह कर कई जहाज जाते है । जब तक एग्रीमेंट में सारी बातें इस तरह की न हो जाएं भारत को आमोद-प्रमोद के लिए वह टाउनशिप नहीं बना रहे है, औद्योगिक विकास के लिए भारत की मदद के लिए कर रहे हैं तब तक भारत सरकार को इसकी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए । भारत की भूमि पर कोई भी विदेशी प्रभुत्ता को इस तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए । आगे के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा । मैं यह बात सरकार से, प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : Madam, the first thing to be remembered is that what has been cleared is only a feasibility study. If it is found infeasible, nothing else will happen. If it is found feasible in the manner in which it is being taken up, then the question of agreement will come. When the question of agreement comes, the terms of the agreement will come. So, all those things will follow. About this word, we are using different words for the same concern in different contexts. We called industrial township. The whole idea started with industrial estates in India. Now this has been improved upon. And now, in view of our good relations, they have offered something. They say that 'all infrastructural facilities of the most sophisticated variety will be made available at our cost under the ODA'. Now, we are not spending the money. They are spending the money. No sovereignty is involved. I have already made it absolutely clear that this is not going to be a Japanese piece of land on the soil of India. This is absolutely clear. There should be no misgiving on that. I have made this clear in the other House in the last session. On that, there need be no doubt of any kind. Another thing is, nothing special is going to accrue to Japan. It is an international industrial township. Industries from all countries can come. They are welcome. And this is the idea. And for that, whatever infrastructure, special kind of infrastructure would be needed that is the feasibility study, that is being undertaking. So, the objections, if true, would be really serious. Since they are not true, they are not to be considered at this stage.

And in any case, on the question of sovereignty, I can assure the House with all the emphasis at my command that at no time, whether now or in future, will the question of sovereignty be sullied in any manner.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 102.

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सुविधाएं प्रदान करने की योजना

*102. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में बिजली और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करवायी गई है ;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये किसी समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को सामान्य योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। किसी भी समस्याग्रस्त गांव में पेयजल-सप्लाई का प्रथम स्रोत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्ती में उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को शुरू करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 25% और 10% न्यूनतम परिव्यय निर्धारित करते हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की 35% निधियों के समग्र आबंटन के अंदर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आबंटन समायोजन योग्य होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित संसधानों को अन्य क्षेत्रों में अपवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है।

इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पेय जल सप्लाई हेतु विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत निधियां निर्धारित की जाती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कवर न की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सम्पूर्ण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। जहां तक गांवों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने का संबंध है, अलग से कोई योजना विचाराधीन नहीं है और विशेष रूप से इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत वरीयता के आधार पर आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता